राज्य सरकारी कर्मचारी की फ़ीस प्रतिपूर्ति की प्रकिया (RS-CIT कोर्स)

प्रतिपूर्ति के लिए प्रारम्भ में अभ्यार्थी को अपनी सम्पूर्ण कोर्स फ़ीस आई. टी. ज्ञान केंद्र पर स्वयं देनी होगी, कोर्स पूर्ण करने व परीक्षा उतीर्ण होने के पश्चात् सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT & C) द्वारा नियमानुसार फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी | पुनः परीक्षा शुल्क (Re-Exam) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी |

प्रोत्साहन राशि का भुगतान जो अभ्यार्थी प्रथम प्रयास में RS-CIT परीक्षा उतीर्ण कर लेंगे, वहीं कोर्स फ़ीस की 25% प्रोत्साहन राशि के लिए मान्य होंगे |

नोट : Department of IT and communication (Govt. of Rajasthan) के पत्र क्रमांक प 2(१०२२)/सू.प्रो./संस्था /१२/४६२६ के आदेशानुसार RS-CIT कोर्स का पुनर्भरण राज्य सरकार में नियुक्त अधिकारियों /कर्मचारिओं हेतू ही लागू है | निगम /बोर्ड /विश्वविद्यालयों/ राज्य सरकार के उपक्रमों आदि को राज्य सरकार द्वारा शुल्क पुनर्भरण नहीं किया जाता है|

प्रतिपूर्ति के लिए अभ्यार्थी निम्न दस्तावेज संलग्न करें:

- 1. अपने सम्बंधित विभाग / कायार्लय से फ़ीस प्रतिपूर्ति सम्बंधित, (DoIT & C) को अग्रेषित पत्र (duly typed with official seal, signature and dispatch no. (preferably on letter head)
- 2. फीस रसीद की सत्यापित कॉपी
- 3. बतौर सबूत, RS-CIT परीक्षा उतीर्ण होने की मार्कशीट / सर्टिफिकेट की सत्यापित कॉपी
- 4. अभ्यार्थी द्वारा हस्ताक्षरीत, पूर्व भुगतान रसीद (PRE PAYMENT RECEIPT CUM UNDERTAKING)

उपरोक्त 1 से4 दस्तावेज निम्नलिखित पते पर भेजे:

(Mention "RS-CIT Reimbursement Claim – Govt. Employee" on top of the envelop)

Address:

Rajasthan Knowledge Corporation Ltd. 7-A, Jhalana Institutional Area, Behind R.T.O., Jaipur – 302004

PRE PAYMENT RECEIPT CUM UNDERTAKING

Received with thanks a sum of Rs (In words)	
only by Online Transfer From RKCL on behalf of Department of Information Technology & Communication, (DOIT&C) GoR on account of RS-CIT course fee and incentive (if eligible) against my Learner Code No	
Branch Address:	FSC
 Father's Name	ail ID
	PIN
Office Contact No Full Residential Address:	
 Further I hereby undertake: I have passed the RS-CIT exam in:	
Place :	(Signature)
Date :	Name: